बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम

विज्ञापन संख्या– 25/2023, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधीन बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी (पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष) के पदों पर नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश–

क्र.सं.	दिनांक एवं दिन	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 02:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	29.01.2024 सोमवार	202325000018, 202325000033, 202325000045, 202325000068, 202325000070, 202325000073, 202325000091, 202325000095, 202325000105, 202325000110, 202325000111, 202325000112, 202325000119, 202325000135, 202325000136, 202325000143	202325000148, 202325000151, 202325000157, 202325000158, 202325000160, 202325000162, 202325000175, 202325000179, 202325000180, 202325000189, 202325000191, 202325000192, 202325000193, 202325000195, 202325000197, 202325000199

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन पत्र आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक/रजिस्ट्रेशन नम्बर (Roll No./Reg. No.) डालकर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हो सकते हैं। आयोग के उक्त वेबसाईट पर (i) आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं (ii) परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र–II उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र– I एवं प्रपत्र–II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

03. **दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की छायाप्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम ,जन्म तिथि, पिता का नाम सही है।

(iii) इंटरमीडियट का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (अंक के निर्धारण हेतु)।

(iv) स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) का प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(v) स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) का अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका–3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।

(vi) राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स उत्तीर्णता संबंधित प्रमाण पत्र।

अथवा

केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र (जिसमें कार्य अवधि एवं मान्यता प्राप्त संस्थान होने का स्पष्ट उल्लेख हो)।

(vii) कार्यानुभव हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र।

नोटः– अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित होना चाहिए कि अनुभव अग्निशमन क्षेत्र से सम्बन्धित है एवं उक्त के निमित नियुक्ति पत्र/प्रोन्नति पत्र/वेतन पर्ची समर्पित करें।

(viii) अभ्यर्थी जिस वर्ष/सत्र में स्नातक/स्नातक (अभियंत्रण) उत्तीर्ण हुए हों उस वर्ष/सत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र) (दावा करने की स्थिति में)।

(x) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।

(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

(xii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

(xiii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।

(xiv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र (दावा करने की स्थिति में)।

(xv) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xvi) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने करने की अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है।

04. **उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

05. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपको दस्तावेज सत्यापन में शामिल नहीं कराया जायेगा।

06. (i) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii) यदि आपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) होने सम्बन्धी आरक्षण का दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय कंडिका 3 (xiii) में उल्लेखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

07. **दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किये जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार पूर्व या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

08. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

09. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नकः– 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I (Proforma-I)

2. परीक्षावार प्राप्तांक एवं प्रतिशत, अनुभव विवरण प्रपत्र–II (Proforma-II)

17/01/24

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना